सदस्यता आवेदन हेतु मार्गदर्शक बिन्दु

1. आवेदन देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन द्वारा निर्दिष्ट फार्म पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
2. आवेदन पत्र पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए तथा इस पर मालिक/भागीदारों/डायरेक्टर्स सभी के पूरे हस्ताक्षर होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र पर किसी देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन के सदस्य के दस्तखत होने चाहिए जो यह प्रमाणित करे कि आवेदक/आवेदकों के दस्तखत उसके सामने किए गए हैं।
4. आवेदन पत्र पर वर्तमान प्रबन्ध समिति के किसी पदाधिकारी या सदस्य कार्यसमिति के दस्तखत होने चाहिए।
5. आवेदन पत्र के साथ ₹ 10/– के कोर्ट पेपर पर ए.डी.एम./नोटरी या ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित शपथ पत्र होना आवश्यक है। कोर्ट पेपर 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप मालिक फर्म तथा भागीदारी फर्म व कंपनियों द्वारा अलग–अलग है, जो कार्यालय देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन में उपलब्ध होगा।
6. आवेदन पत्र के साथ जिस पते पर आप व्यापार करते हैं, वहां व्यापार करने के लिए आप अधिकृत हैं, इसका सबूत यथा रसीद–किराया या सेलडीड की कॉपी हाऊस टैक्स की रसीद व अन्य अधिकृत दस्तावेज लगाएं।
7. यदि व्यापार स्थल की रजिस्ट्री या किरायदारी किसी रक्त संबंधी के पक्ष में हो तो उसका एन.ओ.सी. रजिस्ट्री कॉपी, किराये की रसीद के साथ ₹ 10/– के कोर्ट पेपर पर उपरोक्त रूप से सत्यापित करवाकर लगाएं।
8. अपनी फर्म के मालिकाना पक्ष की पुष्टि हेतु पैन नंबर, इन्कम टैक्स रिटर्न, पार्टनरशिप डीड/मैमोरन्डम ऑफ आर्टीकल्स एण्ड एसोसिएशन/रेलेवैन्ट रेसोलुशन आदि की कॉपी लगाना आवश्यक है।
9. आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क ₹ 1000/– तथा द्विवार्षिक शुल्क ₹ 1500/– (कुल ₹ 2500/–) एडवांस जमा कराना होगा। एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क ₹ 1000/– तथा वार्षिक शुल्क ₹ 750/– कुल ₹ 1750/– एडवांस जमा कराना होगा।
10. सदस्यता के लिये आवश्यक फर्म का पैन कार्ड की फोटो कॉपी।
11. मालिक/डायरेक्टर/भागीदार/ व अन्य जिनके नाम सदस्यता फार्म में उल्लेखित हैं तथा जो फर्म मालिकाना हक रखते हैं, उनके मतदाता पहचान पत्र की कॉपी या अन्य पहचान की कॉपी।
12. यदि फर्म का कार्य व्यापार प्रवेश पत्र जांच बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने तक एक वर्ष का हो गया है तो उनकी आयकर रिटर्न की कॉपी या एडवांस टैक्स की कॉपी देनी होगी।
13. उपरोक्त मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुरूप जो फर्म आवेदन करती है उसे देहली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसिएशन की सभी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार वोटिंग राईट के अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
14. एजेंसी के अंतर्गत सदस्यता आवेदन, आवेदक के मूल पते से स्वीकार किए जाएंगे। पत्र व्यापार का पता एजेंसी एग्रीमेंट में दिया गया पता हो सकता है। यदि आवेदक एजेंसी एग्रीमेंट के पते पर सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके मकान मालिक या अधिकृत किरायेदार का अधिकृत एन.ओ.सी. देना होगा।